

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a ¹**[SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC]** and to secure to all its citizens :

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all;

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the ²[unity and integrity of the Nation];

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949 do **HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.**

1. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, Sec. 2, for "Sovereign Democratic Republic" (w.e.f. 3.1.1977)
2. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, Sec. 2, for "Unity of the Nation" (w.e.f. 3.1.1977)

भारत का संविधान उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और

राष्ट्र की एकता और अखंडता

सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

प्रस्तावना / उद्देशिका / Preamble

प्रस्तावना का विचार → USA

प्रस्तावना का भाषा → आस्ट्रेलिया

प्रस्तावना का स्रोत → उद्देश्य प्रस्ताव (Objective Resolution)

क्या होती है?

1) पेश (Introduced) ⇒ 13 Dec. 1946

2) स्वीकार (Accepted) ⇒ 29 Jan. 1947

संविधान का सूचनात्मक
Index of Preamble

संविधान का परिचय पत्र ⇒ रुन०रु० पालकीवाला
⇒ Introduction of Constitution

⇒ प्रस्तावना संविधान की आत्मा ⇒ अनुराग ठाकुर भार्गव दास
Soul of Constitution

⇒ गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य ⇒ वाद (1969) ⇒ रुम० टिदायतुल्ला ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा।
Golakhnath Vs state of Punjab

⇒ राजनीतिक जन्मपत्री ⇒ क०रुम० मुंशी
Political Horoscope

⇒ संविधान निर्माताओं (Constitution Makers) के विचारों को जानने की कुंजी (Key) ⇒ अर्नस्ट मैके।

Q ⇒ प्रस्तावना (Preamble) में कितनी बार (How many time) संशोधन (Amendment) हुआ है?

Ans एक बार (one time) ⇒ 42 वां संविधान संशोधन 1976
42 (Constitution Amendment) 1976

लघु संविधान
(Mini constitution)

क्योंकि संविधान में अधिकतर परिवर्तन इसे संशोधन के द्वारा किये गये।

↓
Add on / जोड़ा गया ⇒ 3 words - 3 शब्द

(1) समाजवाद (socialist)

(2) पंथनिरपेक्ष (secular)

(3) अखण्डता (integrity)

Q. ⇒ किस वाद (Case) में प्रस्तावना को संविधान का अंग (Part of Constitution) नहीं माना गया ?

↳ बेरुवारी वाद 1960 ⇒ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान के अंग नहीं है। (Preamble is not a part of Constitution)
Bejavara case 1960

Q. ⇒ किस वाद (Case) में प्रस्तावना को संविधान का अंग (Part of Constitution) माना गया है। ⇒ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ⇒ 1973 / Keshvananda bharti vs state of Kerala ⇒ 1973

संसद (Parliament) ⇒ को यह शक्ति (Power) है कि वह केवल संविधान (Constitution) के अंगों / भागों (Parts) में संशोधन (Amendment) कर सकती है।

⇒ इस case में Supreme Court ने प्रस्तावना (Preamble) को संविधान का अंग (Part of constitution) माना।

⇒ (Basic structure of constitution) संविधान का मूलभूत ढांचा

↓
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान किसी भी अंग/भाग में संशोधन कर सकती है लेकिन **मूलभूत ढांचे** का उल्लंघन (violation of Basic structure) न हो।

Q ⇒ मूलभूत ढांचा (Basic structure) क्या है?

↳ न्यायिक निर्णय (judicial judgement)

सामान्यतया प्रत्येक अधिनियम का आरम्भ उद्देशिका से होता है जो उसके मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है।* Generally, every Act begins with a Preamble which mentions its main ideals and aspirations.*

भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी (Key) है। **The Preamble of the Indian Constitution is the key to knowing the thoughts of the Constitution makers.**

भारतीय संविधान की उद्देशिका का स्रोत पं. जवाहर लाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसम्बर 1946 को प्रस्तुत एवं 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जबकि प्रस्तावना का विचार U.S.A. के संविधान से ग्रहण किया गया है/The source of the Preamble of the Indian Constitution is the language of the Preamble presented by Pt. Jawahar Lal Nehru in the Constituent Assembly on 13 December 1946 and accepted on 22 January 1947. The language of the Preamble has been taken from the Constitution of Australia while the idea of the Preamble has been taken from the Constitution of the USA.

42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में संशोधन कर प्रथम पैरा में 'समाजवादी और पंथनिरपेक्ष' शब्द तथा छठे पैरा में 'और अखण्डता' शब्द जोड़ा गया।*The 42nd Constitutional Amendment Act, 1976 amended the Preamble by adding the words 'Socialist and Secular' in the first paragraph and the words 'and Integrity' in the sixth paragraph.*

क्या उद्देशिका संविधान का अंग है?

Is the Preamble a part of the Constitution?

इन री बेरूबारी (1960) के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारित किया

कि- In the case of In re Berubari (1960), the Supreme Court held that-

1. उद्देशिका संविधान का प्रेरणा स्रोत भले ही हो किन्तु यह संविधान का अंग नहीं है। *The Preamble may be the source of inspiration for the Constitution but it is not a part of the Constitution.*

किन्तु केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य (1973) प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को उलटते हुए यह मत दिया कि-

But in the case of Kesavananda Bharati vs State of Kerala (1973), the Supreme Court reversed its earlier decision and gave the opinion that-

1. उद्देशिका संविधान का एक भाग है। * संविधान में उसका वही भाग स्थान है जो अन्य उपबन्धों का है। * The Preamble is a part of the Constitution. * It has the same part in the Constitution as other provisions. *

2. उद्देशिका में संशोधन (मूलभूत ढाँचे के अलावा) किया जा सकता है।

Amendments can be made in the Preamble (apart from the basic structure).

न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम् पंजाब राज्य के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है।

Justice Hidayatullah has called the Preamble the soul of the Constitution in the case of Golaknath vs. State of Punjab.

के. एम. मुंशी ने उद्देशिका को 'राजनीतिक जन्मपत्री' (Political Horoscope) संज्ञा प्रदान की है। सुभाष कश्यप ने उद्देशिका के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा है कि, "संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है। उद्देशिका आधार शिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका।

K.M. Munshi has called the Preamble a 'political horoscope'. Subhash Kashyap has underlined the importance of the Preamble and said, "If the Constitution is the body, then the Preamble is its soul. If the Preamble is the foundation stone, then the Constitution is the building built on it.

हम भारत के लोग We the People of India

उद्देशिका का आरम्भ 'हम भारत के लोग' (We, the People of India)
शब्द से हुई है। इसका तात्पर्य यह है कि संविधान का मूल स्रोत- भारत की जनता है। वही समस्त शक्तियों का केन्द्र बिन्दु है।

The Preamble begins with the words 'We, the People of India'.

This means that the original source of the Constitution is the people of India. They are the center point of all powers.

We the people of India

हम भारत के लोग

→ अर्थ (Meaning)

संविधान का स्रोत

Source of Constitution

⇒ भारत की जनता

People of India



UNO के चार्टर से यह शब्द
लिया गया (Taken from UNO Charter)

↳ हम संयुक्त राष्ट्र लोग



समस्त शक्तियों का केंद्र बिन्दु
Center point of all Powers.


संविधान द्वारा प्रदत्त सम्प्रभुता जनता में निहित है तथा भारतीय संविधान उसकी इच्छा का परिणाम है। ये शब्द संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द 'हम संयुक्त राष्ट्र के लोग' के समरूप है।

The sovereignty granted by the Constitution lies with the people and the Indian Constitution is the result of their will. These words are similar to the words 'We, the People of the United Nations' used in the Preamble of the Charter of the United Nations.

(सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न (Sovereign))

उद्देशिका के अनुसार भारत एक 'सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न' (Sovereign) राष्ट्र होगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत अपने

According to the Preamble, India will be a 'completely sovereign' nation. This makes it clear that India will have full control over its



इन्हें भी जानिए ! Know these too!

- ★ **42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में शामिल किये गये शब्दों 'समाजवादी' ' पंथ निरपेक्ष' और अखण्डता को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है कि वह उद्देशिका में निहित किसी आधारभूत ढाँचे (Basic Structure) को नष्ट करता है। (जब तक कि केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा उलट नहीं दिया जाता।The words 'socialist', 'secular' and 'integrity' inserted in the Preamble by the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976 can be challenged in the court on the ground that it destroys the basic structure contained in the Preamble. (Unless the decision of Kesavananda Bharati vs State of Kerala is reversed by the Supreme Court.**

★ व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता सुनिश्चित करना भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अन्तर्गत एक संकल्प है।

Ensuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation is a resolution under the Preamble of the Indian Constitution.

आन्तरिक एवं बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के वि अधीन नहीं है। वह अपनी आन्तरिक एवं बाह्य विदेश नीति निर्धारित करने के लिए तथा किसी भी राष्ट्र के साथ मित्रता एवं सन्धि करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। **It is not subject to any foreign power or authority in internal and external matters. It is completely independent to determine its internal and external foreign policy and to make friendship and treaty with any nation.**

समाजवादी (Socialist)

42 वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में 'समाजवादी' (Socialist) शब्द जोड़ा गया। * भारत का समाजवाद, लोकतांत्रिक चल समाजवाद है जो नेहरू जी की अवधारणा पर आधारित है।

The word 'Socialist' was added to the Preamble by the 42nd Constitutional Amendment in 1976. * Indian socialism is a democratic dynamic socialism based on Nehru's concept.

समाजवादी (Socialist) (समाज में समानता) (equality in society) ⇒ विकास के संसाधन (Resource Development) ⇒ समान वितरण (equal division)

(पंथ निरपेक्ष (Secular))

इसे भी 42 वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 'पंथ-निरपेक्ष' (Secular) राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता है; बल्कि वह सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है।

This was also added by the 42nd Constitutional Amendment.
A 'secular' state means a state that does not recognize any particular religion as the state religion; rather it provides equal protection to all religions in a neutral manner.

पञ्चानिरपेक्षा (secular) ⇒ अर्थ (Meaning)

↓
देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा।

सभी धर्म समान (All Religions Are Equal)



लोकतंत्र (Democracy)

लोकतंत्र से तात्पर्य है लोगों का तंत्र अर्थात् जनता का शासन | अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्रात्मक शासन जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा स्थापित शासन होता है। * भारत में जनता अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है। इसे अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली या प्रतिनिधि प्रणाली कहा जाता है।

Democracy means the system of the people i.e. the rule of the people. According to Abraham Lincoln, democratic rule is the rule of the people, for the people and by the people. * In India, the people rule through their elected representatives. This is called indirect democratic system or representative system.

(गणराज्य (Republic))

भारत एक गणराज्य है। इससे तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा न कि वंशानुगत | *

India is a republic. This means that the head of state of India will be elected and not hereditary. *

संविधान की प्रस्तावना द्वारा अपने नागरिकों को अधोलिखित न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता सुनिश्चित कराने का संकल्प व्यक्त किया गया है।

यथा- The Preamble of the Constitution has expressed the resolve to ensure the following justice, freedom and equality to its citizens. As-

न्याय (Justice) - तीन प्रकार के (UPPCS : M: 16) हैं; यथा - सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक । Justice - There are three types (UPPCS : M: 16); as- social, economic and political.

स्वतंत्रता (Freedom) – विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। Freedom - of thought, expression, belief, religion and worship.

**समानता (Equality)—प्रतिष्ठा एवं अवसर की ।)
Equality - of dignity and opportunity.)**

प्रस्तावना द्वारा अपने सभी नागरिकों में ऐसी बन्धुता (Fra-ternity) बढ़ाने का संकल्प लिया गया है जो व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखण्डता' को सुनिश्चित करने वाली है। * ' और अखण्डता' शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है।*

The Preamble has resolved to promote such fraternity among all its citizens which ensures the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. * The words 'freedom and integrity' have been added by the 42nd Constitutional Amendment.*